संख्या- 35/2017/ 933/41-17-01 बजट/2017

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2017**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माहों के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सं0-1063/4-2-2(बजट)/प्र0/2017, दिनांक 07 जून, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माहों के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष पर्यटन विभाग के अनुदान सं0 44 के अन्तर्गत 04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख का 5/12 भाग अर्थात रू0 4.17 लाख की धनराशि को निम्नलिखित तालिका के प्रस्तर-2 में अंकित मद के सापेक्ष प्रस्तर-4 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रं0 स0	फर्म का नाम	विषय	धनराशि
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	चेन्नई कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 5865.00
2.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	इलाहाबाद कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 2576.00
3.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	वाराणसी कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 4411.00
4.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	नई दिल्ली कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 2075.00
5.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	नई दिल्ली कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 7659.00
6.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	नई दिल्ली कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 4278.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	वाराणसी कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 1835.00
8.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	इलाहाबाद कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 2576.00
9.	मेसर्स फालकन कोरियर सर्विस, लखनऊ।	नई दिल्ली कार्यालय हेतु पर्यटन साहित्य का प्रेषण	रू0 207.00
10.	मेसर्स यू0वी0 सिस्टम, लखनऊ।	स्टोर मैनेजमेण्ट कार्य	रू0 64,462.00
11.	मेसर्स यू0वी0 सिस्टम, लखनऊ।	स्टोर मैनेजमेण्ट कार्य	रू0 64,462.00
12.	मेसर्स यू0वी0 सिस्टम, लखनऊ।	स्टोर मैनेजमेण्ट कार्य	रू0 64,462.00
13.	मेसर्स यू0वी0 सिस्टम, लखनऊ।	स्टोर मैनेजमेण्ट कार्य	रू0 64,462.00
14.	मेसर्स आर्यावर्त, लखनऊ।	वाल पैनल एवं साइड वाल का निर्माण	रू0 9450.00
15.	मेसर्स आर्यावर्त, लखनऊ।	फ्लैक्स निर्माण	रू0 4253.00
16.	मेसर्स स्टूडियों8, लखनऊ।	सी0डी0 कवर	रू0 19600.00
17.	मेसर्स स्टूडियों8, लखनऊ।	सी0डी0 कवर	रू0 19500.00
18.	मेसर्स अरमान, लखनऊ।	बुद्धिस्ट कान्क्लेव के पैनल का निर्माण	रू0 19,500.00
19.	मेसर्स प्रतिभा प्रेस एण्ड मल्टीमिडिया प्रा0 लि0 लखनऊ।	कैलेण्डर का कोरियर	रू0 15,148.00
20.	मेसर्स प्रतिभा प्रेस एण्ड मल्टीमिडिया प्रा0 लि0 लखनऊ।	कैलेण्डर का कोरियर	रू0 15,219.00
21.	मेसर्स मिनिट्स	लखनऊ महोत्सव 2016 के पण्डाल की डिजाइनिंग	रू0 5000.00
22.	मेसर्स मिनिट्स	गणतंत्र दिवस 2017 झाँकी की डिजाइन	रू0 10000.00
कुल योग			**4,17,000.00**

(धनराशि रू0 4.17 लाख)

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2017 बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश सं0 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) उक्त के साथ पूर्व में सम्पादित प्रदर्शनियों तथा प्रस्तावित गणतन्त्र दिवस-2017 की झांकी की डिजाइन हेतु मांगी गयी धनराशि की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जा रही है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त भुगतान प्रथमबार किया जा रहा है तथा उक्त आयोजनों हेतु व्यय की गयी धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिल-बाउचर्स का वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कराने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासम्भव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से की जाय।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2017 बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश सं0 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-35/2017/933(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
5- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in